भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 845 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन

† 845. श्री के. सुधाकरन :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन का सफल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): जी, हाँ। सरकार ने तिरुवनंतपुरम में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन का सफल प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख): विझिंजम समुद्री पत्तन परियोजना, जो राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 16 किमी दक्षिण में स्थित है, देश का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पत्तन है। केरल राज्य सरकार ने अगस्त 2015 में मैसर्स अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (एवीपीपीएल, रियायतप्राप्तकर्ता) के साथ शुरुआती 40 वर्षों की रियायत अवधि के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफ़ओटी) पर विझिंजम समुद्री पत्तन के विकास और प्रचालन हेतु एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए है। पत्तन के चरण-I का निर्माण कार्य दिसंबर, 2015 में शुरू किया गया और अब प्रचालन के तैयार है तथा ट्रैल रन किया जा रहा है। भारत सरकार को इस परियोजना हेतु 817.80 करोड़ रु. की राशि का व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ़) प्रदान करना है।

सरकार ने विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पत्तन के प्रचालन हेतु निम्नलिखित आवश्यक कदम भी उठाए है:

(i) नौवहन महानिदेशालय (डीजी शिपिंग) ने दिनांक 02.04.2024 को पत्तन के लिए अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय पोत और पत्तन सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी किया है जो 6 माह की अवधि के लिए वैध है।

(ii) डीजी शिपिंग ने दिनांक 28.03.2024 को पत्तन के लिए पत्तनों में अंतरिम नौचालन समिति (एनएसपीसी) अनुपालन प्रमाण-पत्र भी जारी किया है जो 07.10.2024 तक वैध है।

(iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 23.04.2024 को केंद्रीय सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर बोर्ड को विझिंजम अंतराष्ट्रीय पत्तन को सीमा शुल्क अधिसूचित पत्तन घोषित करने हेतु सकारात्मक सिफ़ारिशें दी है।

(iv) विझिंजम पत्तन को सीमा शुल्क अधिसूचित पत्तन के रूप में घोषित किया गया है और पत्तन के लिए स्थान कोड जारी किया गया है।

(v) विझिंजम में एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट (आईसीपी) की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है।

*****